न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या 36/2016

श्री जगदीश सिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम–नगर ग्राम पंचायत शिखरानी, तहसील–बिजयनगर, जिला– अजमेर (राज0)।

.........प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, बिजयनगर (राज0)

........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक 07.10.2016

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम नगर पटवार क्षेत्र शिखरानी तह. बिजयनगर जिला–अजमेर स्थित आराजी ख.नं. 1166/368 रक्बा 0.6637 बा. 3 प्रार्थी की खुदकाश्त से खातेदारी की आराजी है जिसके उत्तर में आराजी ख.नं. 218 सरकारी सिवायचक भूमि है । प्रार्थी इसी सिवायचक भूमि से अपने खेत ख.नं. 1166/368 पर गत 20–25 वर्षो से आ जा रहा है तथा उसके ट्रेक्टर आदि आते जाते है इसके अलावा उसके खेत पर जाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है क्योंकि ख.नं. 218 सड़क एवं प्रार्थी के खातेदारी की उक्त भूमि के मध्य स्थित है । अतः प्रार्थी को इस ख.नं. 218 से 15 फिट का रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें ।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम नगर के राजस्व नक्शे में पक्की सडक व ख.नं. 368 के मध्य ख.नं. 218 स्थित है । ख.नं. 368, ख.नं. 1167/368 व 1166/368 बने है जो कमशः श्रीमती अल्का पत्नि शंक्तिसिंह व प्रार्थी जगदीश सिंह की खातेदारी में है लेकिन नक्शे में पृथक–पृथक तरमीम नहीं है । ख.नं. 368 के दक्षिण सीमा के समानान्तर रकार्डेड रास्ता उपलब्ध है । ग्राम नगर पालिका बिजयनगर की परीधीय सीमा में स्थित है । मुख्य सडक पर डी.एल.सी. दर 2,02,000/– रू दो लाख दो हजार रूपये प्रतिबीघा है प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु अपेक्षित भूमि 312 वर्ग फिट बनती है ।

भूमि धारी अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थी के निवेदन को समर्थन किया जाना पाया जाता है पक्षकारान को सुना गया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र पक्षकारान को सुनने पर स्वीकार योग्य पाया जाता है । अतः स्वीकार किया जाता है और आदेश पारित किये जाते है ।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

ग्राम नगर पटवार क्षेत्र शिखरानी द्वितीय तहसील–बिजयनगर स्थित सरकारी सिवायचक भूमि ख. नं. 218 से होकर प्रार्थी के खेत ख.नं. 1166/368 तक जाने के लिए तहसीलदार के प्रस्तावानुसार कुल 312 वर्ग फिट रास्ता डी.एल.सी. की दर रू0 2,02,000/– प्रतिबीघा से प्रतिवर्ग फिट 11.59 रू0 पैसे की दौगुना राशि रू. 7234/– पर रास्ता कायम करने की अनुमति दी जाती है । तहसीलदार बिजयनगर पहले राजस्व नक्शे में ख.नं. 368 में ख.नं. 1167/368 व 1166/368 की पृथक–पृथक तरमीम करे बाद में प्रार्थी के ख.नं. 1166/368 से मुख्य सडक तक स्वीकृत रास्ते की तरमीम करें । प्रार्थी रास्ते की कोस्ट खजाने सरकार जमा करावे । बाद जमा कराने राशि आदेश की पालना हो ।

आदेश आज दिनांक 07.10.2016 को सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश चावला)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा–अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.27 16:53:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: